भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 14

उत्तर देने की तारीख: 02.02.2022

बिहार के विश्वविद्यालयों में रिक्त पद

14# श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021 तक बिहार में काम कर रहे सभी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है और उनमें रिक्त पड़े प्रोफेसरों तथा एसिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सभी पदों को कब तक भर लिया जाएगा और इन पदों को भरने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि 31.03.2021 तक 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 18 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 7 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 01 समवत विश्वविद्यालय, 01 संस्थान राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत स्थापित हैं और बिहार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के 05 संस्थान हैं। बिहार में स्थित और यूजीसी के क्षेत्राधिकार में आने वाले दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों का विवरण इस प्रकार है:

विश्वविद्यालय का नाम	खाली पद	
	प्रोफेसर	सहायक प्रोफेसर
दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	16	24
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय	6	7

(ख): यूजीसी ने यह भी सूचित किया है कि रिक्तियों का होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है और रिक्त शिक्षण पदों को भरने का दायित्व विश्वविद्यालयों पर है जोकि केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित स्वायत्त निकाय हैं।

यूजीसी विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षण पदों को भरने की लगातार निगरानी करता है। कोविड-19 वायरस के प्रचलित प्रकोप के कारण, अधिकांश केंद्रीय विश्वविद्यालय लंबे समय से रिक्त शिक्षण पदों को भरने में असमर्थ थे। इसके अलावा यूजीसी ने अपने पत्र संख्या एफ.1-11/2021 (एससीटी) दिनांक 02.09.2021 के माध्यम से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से 5 सितंबर, 2021 से शुरू करते हुए एक वर्ष की अवधि के भीतर मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया है।

*****